भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं.2019/सिक.(स्पे.)/200/24 नई दिल्ली, दिनांक: 02.07.2019

<u>निदेश-53</u>

विषय: रेल सुरक्षा बल में कमांडो यूनिट संबंधी व्यापक नीति।

रेल सुरक्षा बल नियमावली 1957 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 8 के साथ पठित रेल सुरक्षा बल नियमावली, 1987 के नियम 28 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरपीएफ/आरपीएसएफ कमांडो के लिए गठन, प्रशिक्षण, तैनाती, वर्दी, उपकरण, परिवहन और संचार, प्रोत्साहन आदि के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

इस निदेश को दिनांक 29.04.2011 के पत्र सं.2010/सिक.(स्पे.)/6/7 के तहत जारी किए गए स्थायी आदेश सं.107 के अधिक्रमण में जारी किया जा रहा है।

प्रशिक्षित आरपीएफ/आरपीएसएफ कमांडो की एक कमांडो यूनिट का गठन किया जा रहा है, जिसे **कोरास (रेल सुरक्षा के लिए कमांडो)** के नाम से जाना जाएगा।

क. संगठन का उद्देश्य (विज़न):

- नुकसान, उपद्रव, गाड़ी परिचालन में अवरोध, आक्रमण/बंधक/अपहरण, रेल क्षेत्र में आपदा संबंधी स्थितियों से संबंधित किसी भी परिस्थितियों के लिए विशेषज्ञ उत्तरदायित्व निभाने (रेस्पांडर) की विश्वस्तरीय क्षमताएं विकसित करना।
- क्रमिक प्रतिक्रिया के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए, भारतीय रेलों और इसके उपयोगकर्ताओं को विश्वसनीय और आसान सुरक्षा मुहैया कराने के लिए न्यनूतम प्रभावी बल का प्रयोग किया जाएगा।

ख. सामान्य

- वाम पंथी अतिवादियों, उग्रवादियों/विध्वसंकारी तत्वों से रेल प्रणाली की बढ़ती धमकियों को देखते हुए यह अनिवार्य है कि अलग कमांडो यूनिट का गठन करके रेल सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए रेल सुरक्षा बल को सदैव मुस्तैद रखा जाए।
- देश में ग्रेहाउंड, एनएसजी, सीआरपीएफ, फोर्स वन, सीटीजेडब्ल्यूसी (कांकेर), नेपा आदि जैसे प्रशिक्षित कमांडो और अनुभवी प्रशिक्षकों के बड़े पूल हैं जहां कुछ प्रीमियर प्रशिक्षण केंद्रों में कमांडो ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी एनएसजी, एसपीजी आदि में प्रतिनियुक्ति पर हैं। परन्तु रेल सुरक्षा बल में कमांडो के बारे में कोई व्यापक नीतिगत दिशा-निर्देश नहीं हैं।

ग. चयन

- कमांडो यूनिट में कोई सीधी भर्ती नहीं होगी। इन्हें आरपीएफ/आरपीएसएफ से लिया जाएगा। कांस्टेबल/एसआई कमांडो 30 वर्ष से कम आयु के होंगे जबकि एचसी कमांडो 35 वर्ष से कम आयु के होंगे। इन इकाइयों में केवल इच्छुक कार्मिक ही लिए जाएंगे।

- कमांडो का कार्यकाल 3+2 वर्ष का होगा और वे कमांडो यूनिट में ही नहीं रहेंगे या कांस्टेबल/एसआई के मामले में 35 वर्ष की आयु के बाद और अन्य रैंक के मामले में 40 वर्ष की आयु के बाद किसी भी कमांडो ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। उनका कार्यकाल पूरा होने पर उनके स्थान पर युवा कार्मिकों के नए ग्रुप की तैनाती की जाएगी।

- केवल अत्यधिक प्रेरित और इच्छुक कमांडो द्वारा अनुरोध करने पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही लंबी अवधि के लिए रखा जाएगा।

- उक्त कार्यकाल के बावजूद किसी व्यक्ति का प्रदर्शन संतोषजनक न पाए जाने या प्रशासनिक आधार पर उसे कमांडो यूनिट से कार्यमुक्त किया जा सकता है और बाहर भेजा जा सकता है।

- कमांडो यूनिट में बने रहने के लिए प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के लिए आवश्यक है कि महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल द्वारा गठित अधिकारियों के विशेषज्ञ बोर्ड द्वारा वार्षिक वैधीकरण परीक्षण आयोजित किया जाए। इन मानकों को पूरा न करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को विधिमान्यकरण क्लियर करने के लिए तीन माह का समय दिया जाएगा। विधिमान्यकरण क्लियर न कर पाने के मामले में अधिकारी/कर्मचारी को उसकी मूल इकाई में वापस भेज दिया जाएगा। वार्षिक विधिमान्यकरण परीक्षण का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-ए** के रूप में संलग्न है।

- आरपीएफ/आरपीएसएफ में कमांडो यूनिट के नॉन-कमांडो स्टाफ (कार्यालय स्टाफ, सहायक स्टाफ आदि) की सामान्य तैनाती के लिए उन्हें लागू नियमों का अनुपालन करने के बाद ही तैनात किया जाएगा।

- सामान्य उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए, महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल द्वारा गठित की गई टीम द्वारा इच्छुक और पात्र स्टाफ की स्क्रीनिंग की जाएगी। चयन के लिए मानदंड का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-बी** के रूप में संलग्न है। स्क्रीनिंग के दौरान चयन किए गए स्टाफ को कमांडो प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा।

घ. प्रशिक्षण

कमांडो के मानकों में एकरूपता बनाए रखने के लिए महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण दिए जाएंगे:

i) एनएसजी-मानेसर।
ii) ए.पी. पुलिस-ग्रेहाउंड- विशाखापटनम।
iii) तेलंगाना पुलिस- ग्रेहाउंड- हैदराबाद।
iv) महाराष्ट्र पुलिस - फोर्स वन- पुणे
v) नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकैडमी (एनईपीए), री-भोई, मेघालय।

vi) छत्तीसगढ़ पुलिस- काउंटर टेररिज़्म एंड जंगल वारफेर कॉलेज (सीटीजेडब्ल्यूसी) - कांकेर

vii) असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल- दीफू, असम।

viii) कोबरा स्कूल ऑफ जंगल वारफेर एंड टेक्टिक्स (सीएसजेडब्ल्यूटी)- बेलगांव, कर्नाटक।

ix) राष्ट्रीय कीर्ति वाली कोई अन्य प्रशिक्षण सुविधा।

- कमांडो प्रशिक्षण चार प्रकार का होगा:
  - मूलभूत कमांडो पाठ्यक्रम
  - विकसित कमांडो पाठ्यक्रम (विशिष्टीकरण) - नगर से संबंधित संकट को सुलझाना अर्थात् बंधकों को मुक्त करना आदि
  - विकसित कमांडो पाठ्यक्रम (विशिष्टीकरण)- जंगल युद्ध
  - विकसित कमांडो पाठ्यक्रम (उत्कृष्ट विशिष्टीकरण) - ब्रीचिंग, स्नाइपिंग, बारुदी सुरंग, आईईडी आदि निष्क्रिय करना।
- इस प्रशिक्षण में शारीरिक सहनशक्ति, क्राव मागा सहित हथियार रहित युद्ध करना, अन्य कमांडो बलों के समान नवीनतम हथियारों का प्रशिक्षण शामिल है।
- विशेष रूप से रिफलेक्स शूटिंग क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों पर भिन्न-भिन्न हथियारों के साथ गोली चलाने का अभ्यास आयोजित किया जाएगा।
- विस्फोटकों, हथगोलों और बारुदी सुरंगों की पहचान करके उन्हें निष्क्रिय करने, मानचित्रों को समझने, जंगल में युद्ध करने की तकनीक, गुप्त स्थानों/स्थानों पर छिपे हुए आतंकवादियों पर धावा बोलने, बचाव अभियान, कूद कर चढ़ने, परिसर में धावा बोलने, गाड़ियों में बीच-बचाव करने, पर्यवेक्षण तकनीक (दोस्ताना और प्रतिपक्षी अभ्यासों का पता लगाने) आदि, स्नाइपिंग, ब्रीचिंग, बमों का पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय करने, सीबीआरएन हमलों से निपटने, प्राथमिक चिकित्सा, घटनास्थल प्रबंधन आदि का प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षण के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम **अनुलग्नक-सी** पर संलग्न है।
- कमांडो को प्रत्येक वर्ष दो माह के पुनश्चर्या प्रशिक्षण पर अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित प्रशिक्षण पर भेजा जाएगा और उन्हें कार्य संबंधी आवश्यकताओं तथा कथित भावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों पर अगले विशेष पाठ्यक्रमों के लिए भी भेजा जाएगा।
- कमांडो कंपनी की प्रत्येक पलटन में सीबीआरएन (रसायनिक, जैविक, रेडियोएक्टिव और परमाणु) हमलों का मुकाबला करने के लिए कुल संख्या में से कम-से-कम एक तिहाई कमांडो प्रशिक्षित होने चाहिए।
- विशिष्ट प्रशिक्षण और मानकीरण जैसे सीबीआरएन से निपटने के लिए विशेषीकृत संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए एनडीएमए (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान) के साथ समझौता ज्ञापन पर और उत्कृष्टता के लिए सेंट जॉन आदि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित होगा।
- भर्ती किए गए (कॉन्स्टेबल, एसआई) और सीधे शामिल किए गए सभी जीओ (एएससी प्रशिक्षु) आरंभिक प्रशिक्षण के भाग के रूप में 30 दिनों का कमांडो पाठ्यक्रम प्राप्त करेंगे, जिसे आरंभिक प्रशिक्षण के अंत में आयोजित किया जाएगा।
- कमांडो को रेलों पर विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा।

- सभी प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भविष्य में रे.सु.ब. के लिए पूर्ण रूप से विकसित कमांडो प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। एक समर्पित रे.सु.ब. कमांडो प्रशिक्षण केन्द्र के स्थापित किए जाने तक जगाधरी में 9वीं बटालियन, जहां कमांडो प्रशिक्षण से संबंधित आधारभूत सुविधाएं हैं, को गुणवत्ता प्रशिक्षण के लिए प्रेरित अच्छे प्रशिक्षकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, अखिल भारतीय अथवा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का दर्जा देने का प्रस्ताव भी किया जाएगा। इस केन्द्र का उपयोग स्क्रीनिंग, सत्यापन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए किया जाएगा।

सीओ/9वीं बटालियन, **प्रशिक्षण की रूपरेखा, प्रशिक्षण के मूल्यांकन** और **प्रशिक्षण के प्रबंधन** के उत्तरदायी होंगे।

9वीं बटालियन:

- सभी आरपीएफ और आरपीएसएफ कर्मचारियों के लिए कमांडो पाठ्यक्रमों हेतु आयोजनकर्ता और समन्वयकर्ता के प्रमुख केन्द्र के रूप में कार्य करेगी।
- रेल सुरक्षा और इससे संबद्ध अन्य विषयों को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं (नक्सलवाद, उग्रवाद और विद्रोह से संबंधित) पर मामलों के अध्ययन के लिए भंडार गृह के रूप में कार्य करेगी।
- तैनाती के क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करेगी और इसे नियमित आधार पर अद्यतन करेगी।

<u>प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण</u>:

- रे.सु.ब. कमांडो के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण योग्यता का विकास करने हेतु प्रशिक्षकों के समूह की आवश्यकता होगी।
- 9वीं बटालियन में कमांडो प्रशिक्षण के लिए कर्मियों के चयन हेतु स्क्रीनिंग, वार्षिक विधिमान्यकरण परीक्षण आयोजित करने और विभिन्न कमांडो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षकों की सहायता ली जाएगी।
- आरंभ में एसआई कमांडो और बखूबी अनुभवी कॉन्स्टेबलों/हेड कॉन्स्टेबलों को प्रमुख कमांडो प्रशिक्षण केन्द्रों पर टीओटी पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाएगा, जिन्हें रे.सु.ब. कमांडो के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा। विशेषीकृत पाठ्यक्रमों के लिए अतिथि प्रवक्ताओं और डेमो की व्यवस्था की जाए।
- आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में अनुभवी और प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर सीएपीएफ, सशस्त्र बलों और अन्य राज्य पुलिस बलों से भी बुलाया जा सकता है।

<u>प्रशिक्षण के साधन</u>:

- अत्याधुनिक हथियारों, गैजेटों और उपकरणों के उपयोग के लिए सीओ/9वीं बटालियन, गुणवत्ता प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित अद्यतन प्रशिक्षण साधन उपलब्ध कराने हेतु अद्यतन प्रगति की जानकारी रखेंगे। **प्रशिक्षण साधनों** के रूप में अपेक्षित मदों की सांकेतिक सूची **अनुलग्नक-डी पर संलग्न है**।
- चूंकि 9वीं बटालियन में मूलभूत कमांडो संबंधी अवसंरचना और प्रशिक्षण साधन मौजूद हैं, इसलिए इन प्रशिक्षण साधनों को 9वीं बटालियन में स्थापित किया जाएगा और विभिन्न कमांडो संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहित पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाएगा।

- ऐसे हथियारों, उपकरणों आदि कि आपूर्ति के प्रस्ताव को महानिदेशक/आरपीएफ के अनुमोदन के बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा।

ङ) गठन और तैनाती -

- सबसे पहले, 9वीं बटालियन/आरपीएसएफ, जिसका मुख्यालय जगाधरी में है, को कमांडो बटालियन नामित किया जाए और सीओ/9वीं बटालियन कमांडो बटालियन के प्रभारी होंगे।
- विभिन्न पुलिस बलों और सीएपीएफ के कमांडो सेटअप का अध्ययन करने के बाद, यह विनिश्चय किया गया है कि 'कंपनी' आरपीएफ की मूल कमांडो यूनिट होगी। कमांडो बटालियन के सभी कंपनियों में 03 पलटन होंगी।
- कमांडो बटालियन में 05 संचालन कंपनियाँ होगी, जिनमें से 04 कंपनियाँ संचालन ड्यूटियों के लिए तैनात की जाएंगी और 01 मुख्यालय कंपनी के अलावा 01 कंपनी का प्रशिक्षण रिजर्व के लिए उपयोग किया जाएगा।
- प्रत्येक कमांडो कंपनी के अभिन्न भाग के रूप में बम डिटेक्शन, **आर्मरर** और साथ ही वायरलेस सेल होगा।
- आरपीएफ में कमांडो विंग को मौजूदा प्रशिक्षित बल को पुनः तैनात करके तैयार किया जाएगा।
- कमांडो कंपनियाँ तैयार करने के लिए जिन मंडलों से कर्मचारियों को लिया जाएगा, आरंभ में उसकी पूर्ति आरपीएसएफ कर्मचारियों की उसी संख्या से की जाएगी।
- कमांडो विंग में कार्यभार ग्रहण करने वाले आरपीएफ कर्मचारियों के वेतन और सेवा रिकॉर्ड का रख-रखाव मूल इकाई द्वारा ही किया जाएगा।
- आरपीएफ कमांडो यूनिट में क्रमिक रूप से सभी आरपीएसएफ कार्मिक शामिल होंगे, जिन्हें पात्र आरपीएसएफ कर्मचारियों में से लिया जाएगा और इन्हें कमांडो बटालियन में शामिल करने से पहले मूलभूत कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- कमांडो कंपनियों को एलडब्ल्यूई/विद्रोह/आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा।
- पत्तनों को जोड़ने वाली लाइनों सहित पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों की संस्थापनाओं जैसी महत्वपूर्ण शहरी केन्द्रों की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए, कमांडो बटालियन कंपनियों के प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद 12वीं और 7वीं बटालियन की 1 अथवा 2 कंपनियों को कमांडो कंपनी में परिवर्तित किया जाएगा।
- कमांडो कंपनियों की तैनाती क्षेत्र में वाम पंथी अतिवादियों, विद्रोह, आतंकवादी गतिविधियों के इतिहास, खतरे की वर्तमान धारणा आदि को ध्यान में रख कर की जाएगी।
- **किसी विशिष्ट क्षेत्र में कमांडो कंपनी को तैनात करने से पहले संबंधित आरपीएफ और पुलिस अधिकारियों के परामर्श से क्षेत्र विशिष्ट एसओपी तैयार की जाएगी।**
- कमांडो को समय-समय पर दी गई ड्यूटियों के लिए भी तैनात किया जाएगा, जिसमें स्टेशन की सुरक्षा, गाड़ियों का मार्गरक्षण, रेल क्षेत्र वर्चस्व आदि शामिल होगा।
- प्रत्येक कंपनी में, 03 में से 02 पलटन को ऑपरेशन ड्यूटियों के लिए तैनात किया जाएगा और 01 पलटन को एफएएमईएक्स (कार्य पद्धति अभ्यास) में स्टैंडबाई रखा जाएगा/तैनात किया जाएगा। एक वर्ष की तैनाती के बाद यह मूल्यांकन करने के लिए प्रभाव विश्लेषण किया जाएगा कि इस टीम द्वारा कितनी धमकियों/खतरों को विफल किया गया है।
- कमांडो को प्रत्येक दो वर्ष में विभिन्न कमांडो कंपनियों में तैनात किया जाएगा।

- कमांडो का स्थानांतरण और तैनाती केवल कमांडो यूनिट में ही की जाएगी, जब तक कि उनका 3+2 वर्ष का कार्यकाल पूरा न हो जाए, जिसके बाद उन्हें संबंधित बटालियन/ज़ोन में स्थानांतरित किया जाएगा।

च. आवास और भोजनालय: संबंधित ज़ोन द्वारा कमांडो यूनिट के लिए उनकी तैनाती के स्थान पर अलग से आवास सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आवास सुविधा में सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए।

संबंधित ज़ोन द्वारा भोजनालय की व्यवस्था और सहायक कर्मचारियों के लिए व्यवस्था की जाएगी।

छ. परिवहन:

- पर्याप्त परिवहन सुविधाओं के लिए सीएपीएफ/पुलिस बलों की कमांडो यूनिट के लिए वाहनों के मानक के अनुसार प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा, नक्सल प्रभावित/अतिवादी क्षेत्रों में तैनात की गई कमांडो कंपनियों को बुलेट प्रूफ और माइन सुरक्षित वाहन भी मुहैया कराए जाएंगे और जहां इन कंपनियों को तैनात किया जाएगा उस ज़ोन द्वारा इसके लिए प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा।
- प्रत्येक कमांडो कंपनी मुख्यालय में ज़ोनल पीसीएससी द्वारा रेल द्वारा कमांडो यूनिट के आने-जाने के लिए कोच जैसी मजबूत टॉवर वैगन/स्पार्ट (स्व-नोदित दुर्घटना राहत गाड़ी) की व्यवस्था की जाएगी।
- सीएपीएफ के समान, महाप्रबंधकों के जरिए ज़ोनल पीसीएससी द्वारा आपातस्थिति में एयरलिफ्टिंग और चिकित्सा सहायता के लिए कमांडो यूनिट को जरूरत के अनुसार हेलिकॉप्टर मुहैया कराने के स्थान पर एविएशन सर्विस प्रोवाइडर के साथ करार करने के प्रावधान किए जाएं।

ज. वर्दी, हथियार और उपकरण:

- कमांडो को सामान्य वर्दी के अलावा एक विशेष वर्दी मुहैया कराई जाएगी। प्रत्येक कमांडो को ड्यूटी के समय बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट मुहैया कराए जाएंगे। कमांडो को सीएपीएफ की अन्य कमांडो यूनिट के समान डिजीटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) (खरीदे जाएंगे), नेविगेशन उपकरणों जैसे नवीनतम संचार उपकरण और प्राथमिक उपचार मुहैया कराए जाएंगे।
- सभी कमांडो को अन्य विशिष्ट कमांडो के समान प्रशिक्षण देने के बाद निर्धारित प्राथमिक और गौण हथियार दिए जाएंगे और एलएमजी, एजीएल आादि जैसे नवीनतम सहायक हथियार और अघातक हथियार भी दिए जाएंगे।
- कमांडो के लिए अस्त्र-शस्त्र एवं गोला-बारूद का प्राधिकार बल के अन्य नामांकित सदस्यों के प्राधिकार से भिन्न होगा <u>(इसके लिए निदेश सं.39 में संशोधन किया जाएगा)।</u>
- आरपीएफ के लिए वाहन, बीडीडीएस, डॉग स्कवाड, प्रिज़नर वैन आदि सहित वास्तविक आवश्यकता की गणना और सुरक्षा संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने और मानदंड निश्चित करने के लिए वर्ष 2007 में रेलवे बोर्ड द्वारा गठित की गई मानदंड समिति द्वारा राय दी गई थी कि चूंकि आरपीएसएफ रेल मंत्रालय के अधीन एक

केन्द्रीकृत बल है, इसलिए इस बल का प्रावधान प्रस्तावित मानदंडों के अधीन नहीं हो सकता है और ये खरीद पूरी तरह से योग्यता और औचित्य पर आधारित है।

- उक्त पैरा में यथा उल्लिखित, योग्यता और औचित्य के आधार पर कमांडो के लिए खरीदे जाने वाले हथियारों और उपकरणों की सूची **अनुलग्नक-ई** के रूप में संलग्न है।

झ. बजट और एसओपी:

- कमांडो यूनिट के लिए अलग से बजटीय प्रावधान का प्रस्ताव किया जाएगा ताकि निधि की कमी/अभाव के कारण कमांडो का काम प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो।
- कमांडो के लिए विशेष वर्दी, अतिरिक्त साजो-सामान, उपकरणों और प्रशिक्षण संबंधी अन्य सहायक उपकरणों को समय पर उपलब्ध कराने के लिए, सीओ/9वीं बटालियन को सशक्त बनाने के लिए शक्ति की अनुसूची (एसओपी) में अलग प्रावधान करने की आवश्यकता होगी।

ञ. विशेष भत्ते और प्रोत्साहन:

- आरपीएफ नियमावली के नियम 79 में विशेष भत्ते और अनुलाभ का उल्लेख किया गया है ताकि बल को अपने कार्यों का कुशलता से निर्वहन करने में सक्षम बनाया जा सके। उप-खंड (ड) के अनुसार, केंद्र सरकार उचित समझने पर इस प्रकार के अन्य विशेष भत्तों और अनुलाभ का भुगतान भी कर सकती है।

- कमांडो को रैंक के अनुसार उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित आरएच मैट्रिक्स के अनुसार अन्य बलों के समान एक विशेष भत्ता प्रदान किया जाएगा, जिस पर विचार के लिए वेतन आयोग निदेशालय को एक प्रस्ताव पहले ही भेज दिया गया है।

मेट्रो क्षेत्र	दूरस्थ क्षेत्र	संवेदनशील क्षेत्र
कमांडो को वेतन की निश्चित राशि या प्रतिशत, जिसे बाद में तय किया जाएगा, दिया जाएगा और प्रत्येक 2 वर्ष में इसकी समीक्षा की जाएगी।	गृह मंत्रालय के दिनांक 22.02.19 के पत्र सं.II-27012/40/2017-पीएफ-1 (पार्ट-II) सीएफ सं.3451885 के तहत आरएच मैट्रिक्स के अनुसार	गृह मंत्रालय के दिनांक 22.02.19 के पत्र सं.II-27012/40/2017-पीएफ-1 (पार्ट-II) सीएफ सं.3451885 के तहत आरएच मैट्रिक्स के अनुसार

- ड्यूटी के दौरान जोखिम और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए कमांडो को प्रेरित करने और प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य से और ड्यूटी के जोखिम कारक को देखते हुए विशेष भत्ते के अलावा निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाएंगे:
- आरपीएफ में रिक्ति और आरपीएफ नियमों के अध्यधीन आरपीएसएफ/आरपीएफ में कमांडो का कार्यकाल पूरा करने के बाद पसंदीदा जगह पर तैनाती (संगत निदेशों में संशोधन किए जाएंगे)
- पदोन्नति के लिए जोड़े जाने वाले स्थायी प्वाइंट (संगत नियमों में संशोधन अपेक्षित होंगे)
- प्रतिनियुक्ति, पुरस्कार आदि में वरीयता।

- परिवार के लिए वांछित स्थान पर बिना बारी के आवास आबंटन।
- ड्यूटी पर मृत्यु के मामले में बढ़े हुए मुआवजे के लिए आरएसकैएन में अलग प्रावधान किया जाएगा।
- प्रशिक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को समुचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा।
- कमांडो यूनिट में कार्यरत कार्मिकों के परिवार के सदस्य संगत समय पर लागू संगत सरकारी योजना के तहत यथा लागू अनुग्रह राशि का भुगतान पाने के हकदार होंगे।
- किसी ऑपरेशन में स्थायी अक्षमता के मामले में अधिकारी या अधीनस्थ रैंक के कार्मिक को कमांडो यूनिट से हटा दिया जाएगा और उसे आवश्यक मेडिकल उपचार दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान उसे ड्यूटी पर माना जाएगा और पूरा वेतन तथा विशेष भत्ते को छोड़कर अन्य सभी भत्तों का हकदार होगा।

त. प्रशासन:

महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल, कमांडो यूनिट के अध्यक्ष होंगे और महानिरीक्षक/आरपीएसएफ के जरिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। कमांडो बटालियन का दैनिक प्रशासनिक कार्य मौजूदा आरपीएसएफ बटालियनों के समान ही होगा और 9वीं बटालियन के सीओ कमांडो बटालियन के सीओ होंगे।

थ. विविध:

कमांडो, जिन्होंने अपना 3+2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है और आयु के आधार पर कमांडो के रूप में बने रहने के लिए अर्हक नहीं हैं, को उसकी मूल इकाई में वापस जाने पर अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण ड्यूटियों पर लगाया जाएगा जैसे:

- यात्रियों के सामान की चोरी/डकैती की घटनाओं से बुरी तरह प्रभावित मार्गों पर गाड़ियों का मार्गरक्षण।
- वीआईपी मार्गरक्षण और वीआईपी के पीएसओ के रूप में।
- हाई अलर्ट के दौरान संवेदनशील संस्थापनाओं की गार्डिंग/पट्रोलिंग।
- इन कार्मिकों को ज़ोनल प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षकों के रूप में तैनात किया जा सकता है।

उक्त सभी या किन्हीं अनुदेशों/दिशा-निर्देशों को आशोधित करने की शक्तियां केवल महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल के पास निहित होंगी।

24/9/15

(अरुण कुमार)
महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल